सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

27 नवम्बर, 2024

सप्तदश विधान सभा   बुधवार, तिथि 27 नवम्बर,2024 ई0

त्रयोदश सत्र   06 अग्रहायण,1946(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी कुछ सूचना देना चाहते हैं ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आग्रह करना है कि एक कल देश में संविधान सभा समारोह में जो कंस्टीच्यूशन दिवस के तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा बिहार के सनातन के प्रति और देश के सनातन के प्रति संस्कृत और बिहार के मैथिली भाषा में संविधान की ऐडिशन को लाने का काम किया गया, इसके लिए विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि सदन से सर्वसम्मति से धन्यवाद देने का भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मेरा कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है ......

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले बात हो जाने दीजिए, पहले एक बात आयी है .....

माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक सूचना दी है, जो हमलोगों के लिए, बिहार के लिए बहुत बेहतर है । हमारा जो संविधान है, कल महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान की प्रति को संस्कृत में और मैथिली में उसका अनुवाद जनता को लोकार्पित किया है, अगर आप सबों की सहमति हो तो हमलोग इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे सकते हैं ।

(सभा की सहमति हुई)

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

अध्यक्ष : यह विषय नहीं है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा, अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्या, श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

(व्यवधान)

शून्यकाल में न होगा, प्रश्नोत्तर काल के बाद ही न होगा । प्रश्नोत्तर काल के बाद ही विषय लिये जायेंगे । उसके बाद इस विषय पर विचार होगा ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा, उत्तर संलग्न है ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-11(श्रीमती शालिनी मिश्रा,क्षेत्र सं0-15,केसरिया)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के पथों में अनुरक्षण के कार्यों के सतत् अनुश्रवण हेतु विभाग द्वारा बी0आर0आर0एम0एस0 ऐप विकसित किया गया है जिससे केन्द्रीकृत अनुश्रवण सतत् किया जा रहा है ।

कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के स्तर पर प्रत्येक माह पथों की जॉंच की जा रही है तथा समय-समय पर मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों को भी जॉंच हेतु क्षेत्रों में भेजा जा रहा है । मुख्य सचिव, बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में वर्तमान में जिला प्रशासन के द्वारा भी पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि वाले पथों की जॉंच की जा रही है ।

जॉंच के उपरांत पथों में पाई गई त्रुटियों का निराकरण करवा कर पुनः निरीक्षण किया जाता है तथा पथ के संतोषप्रद पाये जाने पर ही अनुरक्षण कार्य के विरूद्ध संवेदक को भुगतान किया जाता है । पथ में आवश्यक सुधार नहीं करने वाले संवेदकों पर एकरारनामा/बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत कार्रवाई की जाती है । इस प्रकार सभी अनुरक्षणाधीन पथों में अनुरक्षण कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है ।

पंचवर्षीय अनुरक्षण (डिफेक्ट) लायबिलिटी अवधि से बहार तथा भविष्य में बाहर होने वाली ग्रामीण पथों के सतत् रूप से बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत एक नया अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया गया है । इसके अन्तर्गत पथों को दीर्घकालीन अवधि अर्थात सात वर्षो तक पथ की सतह मानक के अनुरूप रखा जायेगा । इस कार्यक्रम के तहत इस वित्तीय वर्ष में 31.03.2024 तक पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि (डिफेक्ट) लायबिलिटी पीरीएड से बाहर तथा किसी अन्य योजना के स्वीकृत नहीं रहने की स्थिति में सभी ऐसे पथों का पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण इत्यादि की अग्रेतर कार्रवाई इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग को जिस पेपर के आर्टिकल से हमने इस क्वेश्चन को दिया है,

मुझे बहुत खुशी हुई कि अब पाँच साल के मेनटेनेन्स अवधि पुराने सड़कों की होती थी, अब इसको बिहार सरकार ने सात साल कर दिया है, उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ । सरकार की मंशा, माननीय मंत्री जी की मंशा है कि ग्रामीण सड़कों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्थिति में रखा जाय । 1 लाख 18 हजार कि0मी0 ग्रामीण सड़कें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से सत्ता संभाली है उसके बाद से ।

मैं धन्यवाद देते हुए माननीय मंत्री जी से एक-दो चीजें जानना चाहती हूँ कि माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 11.09.2024 को बैठक हुई थी, जिसमें यह डिसाईड किया गया था कि अनुरक्षण वाली सारी सड़कों का 15 दिनों के अन्दर निरीक्षण करके और जितनी ज्यादा सड़कें नहीं हुई हैं, उसको अच्छे से मेनटेनेन्स में रखा जाय और अगर जिसने नहीं किया है, उसपर कार्रवाई भी किया जाय । मैं जानना चाहती हूँ कि कितने कि0मी0 सड़कों का निरीक्षण हुआ और कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, अगर वे दोषी पाये गये तो ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि यह तारीख 30 नवम्बर तक का है और 30 नवम्बर के बाद से सभी जिलाधिकारियों का डिटेल्स आ जायेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की चिन्ता है कि जो सड़कें मेनटेनेन्स पॉलिसी में है, उसको हम मेनटेन करें और विभाग ने यह निर्णय किया है कि 'मेरा बिहार मेरी सड़कें' एक ऐप आयेगा और उसमें हरेक ब्लॉक के कितनी सड़कें मेनटेनेन्स पॉलिसी में है, उस ऐप में रहेगी । कोई भी बिहार की जनता उसका फोटो लेकर के अगर सड़क मेनटेन नहीं है तो उसमें डालेगा और हम उसमें एक सप्ताह के अन्दर जो ठीकेदार और जो इंजीनियर हैं, उनसे शो-काऊज करेंगे और सरकार की जो ये सड़कें हैं, उसको मेनटेनेन्स में रखने का हमलोग प्रयास करेंगे ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : बहुत-बहुत धन्यवाद । एक छोटा सा पूरक है, 7209 टोलें अभी सम्पर्कता से वंचित हैं, उसके लिए सरकार की क्या योजना है, कितने दिनों में उन टोलों को सम्पर्कता सरकार प्रदान करेगी, यह मैं जानना चाहती हूँ ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : यह विषय प्रश्न से बाहर है लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 250 बसावटों को एकल सम्पर्कता देने का निर्णय किया था । अब सरकार का निर्णय है कि जो 100 बसावट है, उनको भी हम एकल सम्पर्कता देने का काम करेंगे, इसपर हमलोगों का सर्वे चल रहा है, जितने सर्वे में आये, उसमें कहीं-कहीं

दोहरी सम्पर्कता का भी है, हम उसमें एकल सम्पर्कता को छांट रहे हैं और बहुत जल्द इन सड़कों को भी बनाने के लिए टेंडर करेंगे ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-'अ'12(श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,क्षेत्र सं0-194,आरा)

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण 2020-21 से 2024-25 में चरणवद्ध तरीके से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है । जिसके तहत वर्ष 2023 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत कचड़ा उठाव के लिए 78560 पैडल रिक्शा तथा 5846 ई-रिक्शा की खरीदारी संबंधित पंचायतों द्वारा की गयी थी ।

2. अस्वीकारात्मक ।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सामग्रियों यथा पैडल रिक्शा, ई-रिक्शा आदि का क्रय पंचायतों द्वारा किया जाता है । वर्तमान में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत 7926 ई-रिक्शा तथा 105068 पैडल रिक्शा की खरीदारी पंचायतों द्वारा किया जा चुका है । कार्य के दौरान पैडल रिक्शा तथा ई-रिक्शा खराब होने पर संबंधित पंचायत द्वारा ठीक करवाकर उसे कार्य लिया जाता है । इस हेतु 15वीं वित्त आयोग के निधि के Tied grant का 10 प्रतिशत राशि प्रावधाानित है तथा मात्र 127 पंचायतों में ई-रिक्शा एवं पैडल रिक्शा की खरीदारी की जानी है जो प्रक्रियाधीन है ।

उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, जवाब आया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : यह जवाब बड़ा अस्पष्ट है, इसलिए मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ सरकार से कि ....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न अमरेन्द्र बाबू ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, सरकार ने पंचायतों पर छोड़ दिया है ई-रिक्शा का, प्रश्न आपके सामने है, उसका उत्तर है......

अध्यक्ष : पूरक पूछिए अमरेन्द्र बाबू, यहां देखिए, मेरी ओर देखिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : आपने पंचायतों पर छोड़ दिया और कहा कि पंचायत उसको मेनटेन करेगा, पंचायत की हैसियत है क्या ? यह मामला नीतिगत है जरूर लेकिन पंचायतों पर छोड़ेंगे तो सारा जो ई-रिक्शा, पैडल रिक्शा अध्यक्ष महोदय, वह सब बेकार पड़े हुए हैं ।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : क्या सरकार उसको मेनटेन करने के लिए अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करके राज्य सरकार स्वयं उसका मेनटेनेन्स कराने का और उनको ठीक-ठाक कराकर के उसको पंचायत के भरोसे नहीं छोड़ करके, ऐसा करने का विचार रखती है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय अमरेन्द्र प्रताप सिंह जी पुराने सदस्य हैं और बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है, पूछा है ।

यह स्वच्छता का जो काम है, वह बहुत महत्वपूर्ण काम है और मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है । माननीय सदस्य की चिन्ता यह है कि जो काम स्वच्छता का हो रहा है, घर-घर से कचरा उठाव का काम हो रहा है, उसमें जो ठेला खरीदे गये हैं, उसमें कचरा लादकर डब्लू0पी0ओ0 तक लाये जाते हैं और वहां पर जो ठेला है और ई-रिक्शा जो है, वह खराब की हालत में है, उसको कैसे ठीक कराया जा सकता है । ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त राशि रहती है और एक साल तक मेनटेन करने का काम विभाग के तरफ से किया जाता है और एक साल के बाद वह जो खराब हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है तो ग्राम पंचायतों में जो 15वीं वित्त की जो राशि है, उस माध्यम से उसको ठीक-ठाक कराकर के इस योजना को संचालित की जाती है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं जानना चाहता हूँ सरकार से और एक जानकारी भी देना चाहता हूँ कि मजदूरों का भी मजदूरी बाकी है, छः-छः माह से बाकी है, वह भी नहीं दिया जा रहा है । दूसरी बात, क्या इसकी पूरी समीक्षा कराकर के सरकार इस मामले की जाँच कराकर के ठीक से इसको मेनटेन करें, आखिर यह लापरवाही किसने की, इन सब चीजों का पता करके और यह बहुत सुन्दर योजना है और इससे बहुत फायदा होने वाला है भविष्य में, बहुत लाभ होने वाला है, इसलिए इसपर सरकार जरा गंभीर होकर के सरकार क्या करना चाहती है, यह बताये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : मैंने माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है महोदय कि एक साल तक मेनटेनेन्स का काम और जो हमारे स्वच्छताकर्मी काम करते हैं, उनको हम

एक साल तक मानदेय का भुगतान करते हैं और एक साल के बाद जो ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायतों के माध्यम से उनको भुगतान करने का निर्देश दिया गया है और हर घर से जब कचरा कलेक्शन होता है तो मात्र एक रू0 प्रतिदिन के हिसाब से ग्राम पंचायतों में हमारे जो लाभुक हैं, उनको देना है महोदय और अगर यह उपलब्ध नहीं होता है तो ग्राम पंचायतों को देखना है कि आखिर पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं । इसके अलावे भी 15वीं वित्त के पैसे पंचायतों को मिलता है, उसके माध्यम से चाहे उनका मानदेय हो, चाहे ठेला या ई-रिक्शा खराब हो या अन्य प्रकार की जो कमी है, उसको दूर करने का निर्देश विभाग के द्वारा दिया गया है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि प्रखंड को यह जिम्मेवारी है कि ई-रिक्शा कब बनेगी । हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार के संज्ञान में यह है कि कितने पंचायतों में प्रखंड के द्वारा ई-रिक्शा की रिपेयरिंग करायी गयी है और क्या सरकार को संज्ञान में है कि वह जो व्यक्ति ई-रिक्शा चलाने वाले हैं और साथ में जो कचरा उठाने वाले हैं, उनको कितने वर्षों से पेमेन्ट नहीं मिला है ? यह सिर्फ हमको बता दिया जाय हुजूर ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है महोदय, यह प्रखंड की जवाबदेही नहीं है, यह ग्राम पंचायतों को जवाबदेही दी गई है । ग्राम पंचायतों के जो हमारे माननीय मुखिया हैं, उनको जवाबदेही दी गई है । उनके देख-रेख में यह काम होता है और माननीय सदस्य के संज्ञान में यदि कोई जानकारी है कि अमुक व्यक्ति को मानदेय का भुगतान नहीं हुआ, जो स्वच्छताकर्मी हैं, अगर ये जानकारी देंगे तो 15 दिनों के अन्दर उनका भुगतान करा दिया जायेगा और हमको तो जानकारी है कि हमने निर्देश दिया है कि 15वीं वित्त की राशि से सबका भुगतान कराना है, अगर भुगतान नहीं हुआ है तो उसकी समीक्षा भी करेंगे और एक महीना के अन्दर उनको भुगतान कराने का निर्देश, कड़ाई के साथ पालन करने का निर्देश हम उनको दे देंगे।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय...

टर्न-2/पुलकित/27.11.2024

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आपका हो गया ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए । मैं अपने क्षेत्र के कई लोगों का नाम मंत्री जी को लिखकर के दूंगा

जिनको एक साल से मानदेय नहीं मिला है । रिक्शा, ठेला सारा टूटा पड़ा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है ।

अध्यक्ष : अब हो गया, अब बैठ जाइये ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : यह बहुत अच्छी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की थी । गांवों की साफ-सफाई हो रही थी लेकिन एक साल से यह बंद है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर कहीं से कोई जानकारी आपके पास है, किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, कोई कठिनाई है तो माननीय मंत्री जी को लिखकर दीजियेगा । माननीय मंत्री जी तुरंत कार्रवाई करेंगे । इसके बाद इस पर बोलने का कोई विषय नहीं होता है ।

(व्यवधान)

दे दीजिये । लिखकर दे दीजिये । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-13, श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र सं0-82, दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक ।

2- वर्तमान में विभाग द्वारा किसी भी प्रखंड में पंचायत समिति संसाधन केन्द्र के निर्माण कार्य का प्रस्ताव नहीं है ।

3- उपरोक्त खंड (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि इनका पंचायती राज विभाग का अनुश्रवण पदाधिकारी दिनांक-29.12. 2022 का यह पत्र है कि सभी प्रखंड में पंचायत समिति संसाधन केन्द्र बनाये जायेंगे । महोदय, यह अब दे रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और राशि भी संभवत: उपलब्ध करा दी गयी है । हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि इसको निरस्त करने के लिए विभाग से कोई पत्र गया जिस तरह से स्वीकृति प्रस्ताव गया ।

दूसरा, यह विभाग के सही मार्गदर्शन का अभाव और उदासीनता के कारण इस योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ है । हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि आपका पत्रांक, दिनांक क्या है, जिससे निरस्त किये, जो योजना स्वीकृत थी?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ललित बाबू बहुत पुराने सदस्य हैं और सरकार में भी रहे हैं । पंचायती राज विभाग 2022 में पंचम से पैसा भेजा था लेकिन अभी वर्तमान में वह पैसा दिया गया था प्रखंड पंचायत समिति संसाधन केन्द्र बनाने के लिए । महोदय, वर्तमान में स्थिति यह है कि पंचायत समिति संसाधन केन्द्र में प्रस्तावित गतिविधि हेतु प्रखंड कार्यालय में ही जगह दिये जाने पर निर्णय लिया गया है । अतः एक ही प्रायोजन हेतु दो मद से राशि व्यय किया जाना कहीं से उचित नहीं होता है ।

अतः उक्त राशि के व्यय के संबंध में पृथक दिशा-निर्देश शीघ्र दिया जायेगा, एक महीना में हमलोग विभाग से दिशा-निर्देश दे देंगे कि वह पैसा कहां खर्च करना है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप कहना चाहते हैं कि प्रखंड कार्यालय जो आपका है उसी में अब पंचायत संसाधन समिति केन्द्र खुलेगा ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : जी, उसी में खुल रहा है इसलिए उस पैसा को अलग से हमलोग...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले इनकी बात हो जाने दीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह स्पष्ट नहीं हुआ कि हमलोगों ने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा कि आपने निरस्त किया है तो निरस्त का कोई पत्र विभाग से निर्गत हुआ है ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : निरस्त हमने नहीं किया है ।

श्री ललित कुमार यादव : निरस्त नहीं किया तो कब तक पंचायत समिति संसाधन केन्द्र का निर्माण करायेगा ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : महोदय, पंचायत संसाधन समिति केन्द्र अब इसलिए निर्माण नहीं क्योंकि हमने कहा है कि पंचायत समिति संसाधन केन्द्र में प्रस्तावित गतिविधि हेतु प्रखंड कार्यालय में ही जगह दिये जाने पर निर्णय लिया गया है । प्रखंड कार्यालय में ही निर्णय लिया गया है पंचायत समिति संसाधन केन्द्र का कार्य करने के लिए ।

अतः एक महीने में हमलोग उस पैसे को कहां खर्च किया जाएगा, उसका मार्गदर्शन हमलोग भेज देंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 384 ऐसे प्रखंड हैं जहां पर आई0टी0 भवन या फिर प्रखंड-सह-अंचल भवन का निर्माण नहीं हुआ है वैसी जगह पंचायत समिति

संसाधन केन्द्र बनाये जायेंगे । जिसमें मेरा ढाका, घोड़ासहन प्रखंड भी आता है । महोदय, निर्णय तो है कि 384 जगह बनाया जाना है और विगत तीन वर्षों से यह राशि प्रखंड कार्यालय में पड़ी हुई है पंचायत समिति में । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब सरकार का निर्णय है कि जहां प्रखंड भवन नहीं है वहां बनाना है तो यह पैसा रुकने का कारण क्या है ? क्यों यह पैसा तीन वर्षों से रुका हुआ है ? सारे प्रमुख परेशान हैं, सभी समिति परेशान है, बैठने की जगह नहीं है । निर्णय तो है कि 384 जगह बनाना है । 384 जगह क्यों नहीं बना ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब प्रखंड में ही प्रखंड मुख्यालय में ही गतिविधि चालू होगी तो अलग बनाने का कोई औचित्य नहीं है और यह पंचम का पैसा है हम लोगों ने पृथक करने का.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है । प्रखंड कार्यालय में ही बनने वाला है । अब बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो अनिवार्य रूप से आपका हस्तक्षेप होना चाहिए । सरकार का निर्णय है विभाग के द्वारा मंत्री जी को समुचित जानकारी नहीं दी जा रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : तीन वर्षों से यह राशि पड़ी हुई है । यह गंभीर मामला है हम आग्रह करेंगे कि यह राशि जरूर खर्च हो जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब जवाब हो गया । अब बाद में बोलियेगा । माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-14, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र सं0-194, आरा)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री उद्योग विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, इसमें समय चाहिए ।

अध्यक्ष : अगले दिन इसको करेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, कल इस प्रश्न को करा दीजिए । यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

अध्यक्ष : ठीक है, कल यह प्रश्न आयेगा । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-15, श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र सं0-62, पूर्णियाँ)

(लिखित उत्तर)

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : 1- उत्तर अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक-29.10.2024 तक) में पूर्णियाँ जिला सहित राज्य में कुल 2,16,776 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 57,719 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं।

निबंधन की अर्हत्ता - वैसे निर्माण श्रमिक जो 18 वर्ष की आयु के हों लेकिन 60 वर्ष पूर्ण नहीं किये हों, का बोर्ड में निबंधान करने का प्रावधान है। बोर्ड में निबंधन हेतु (i) आधार कार्ड (ii) बैंक पासबुक (iii) रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (iv) आवेदन की तिथि से एक वर्ष पूर्व में नियोजक द्वारा निर्गत 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र अथवा उक्त अवधि में 90 दिनों के कार्य करने से संबंधित स्व-घोषणा पत्र तथा विहित शुल्क 50/- रुपया (20/- रुपया निबंधन शुल्क तथा 30/- रुपया अंशदान शुल्क 05 वर्ष के लिए) भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन (पोर्टल www.bocw.bihar.gov.in) कर सकते हैं। निबंधन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है ।

निर्माण श्रमिक जिनका निबंधन हेतु आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, वे 30 दिनों के अंदर अपने क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त के समक्ष अपील कर सकते हैं। सहायक श्रमायुक्त के आदेश का अनुपालन निबंधन पदाधिकारी के लिए बाधयकारी होगा ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक-29.10.2024 तक) में राज्य के सभी जिलों में कुल 2,16,776 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 57,719 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं ।

3- उत्तर अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2024-25 (दिनांक-29.10.2024 तक) में पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत 2267 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1750 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है ।

4- उपरोक्त खंडो में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, पूरक पूछ रहा हूं कि कामगार मजदूर और श्रमिकों से संबंधित यह प्रश्न है और विभाग के अधिकारियों ने मंत्री जी को सिर्फ औपचारिकता पूरा करने का उत्तर दिया है ।

अध्यक्ष : विजय जी, पूरक पूछिये । अल्पसूचित प्रश्न का समय सिर्फ 20 मिनट होता है, अभी और माननीय सदस्यों के भी अल्पसूचित प्रश्न हैं । आप पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूं । मेरा पहला पूरक है कि 02 लाख 16 हजार 776 जो आवेदन कामगारों ने दिये, पूरे बिहार में 57 हजार 719 को अस्वीकृत कर दिया गया । पूर्णियां जिला में 2267 में 1750 अस्वीकृत कर दिया गया।

अध्यक्ष : यह सब जवाब में लिखा हुआ है । आपका पूरक क्या है ?

श्री विजय कुमार खेमका : इतनी बड़ी संख्या में अस्वीकृत आवेदन हैं जो वहां के विभाग के अधिकारियों ने किया है क्या माननीय मंत्री जी उसकी मुख्यालय के अधिकारी से जांच कराकर उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं ?

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, पहले तो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि 22 फीसदी ऐसा आवेदनकर्ता है जो रजिस्टर्ड लेबर हैं, वे 22 फीसदी हैं उनका अस्वीकृत किया गया है । ये किसी पेपर में पढ़कर ऐसा प्रश्न पूछा गया था । इन्होंने कहा था कि 01 लाख 90 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे लेकिन सच्चाई यह है कि आवेदन 02 लाख 17 हजार प्राप्त हुए हैं और 02 लाख 17 हजार में से 57 हजार 719 आवेदन अस्वीकृत किए गये । अक्चुअली इसमें होता यह है कि लेबर को इसमें अपने से स्व:घोषणा करनी रहती है या फिर 90 दिन उसने कार्य किया है, अगर ऐसा उसका पास प्रमाण है, यह पोर्टल पर अपलोड करना है । दूसरी चीज है कि आवेदन की तारीख के 90 दिन में अगर आवेदन किया और 90 दिन के अंदर उसका निष्पादन नहीं हुआ, अस्वीकृत हुआ तो सीधे एल0एस0 के पास जायेगा, श्रम अधीक्षक के पास जायेगा और 30 दिन के अंदर अगर एल0एस0 उसमें कुछ नहीं करता है, कार्रवाई नहीं करता है तो लेबर का आवेदन स्वत: अपलोड हो जाता है और वह रजिस्टर्ड हो जाता है । लेकिन दो-तीन चीज उसमें ध्यान देने की बात है, अस्वीकृत करने की जो स्थिति है वह किसी के इन्टेंशन की स्थिति नहीं है । इसमें कार्य प्रमाण पत्र चाहिए अथवा स्वयं अपनी घोषणा करे कि मैंने 90 दिन काम किया है । दूसरा है कि आवेदन की तारीख के गत वर्ष 90 दिन में कार्य किया जाना निश्चित है । आवेदन किया और 90 दिन के पहले अगर वह काम ही नहीं किया है तो उसका आवेदन रद्द होता है । इसलिए किसी तरह का आवेदन नहीं है और सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह होगा क्योंकि

मैंने मंत्री बनने के बाद पूरे बिहार में 1017 कैम्प लगाये हैं, जिसमें 02 लाख 17 हजार आवेदन आये थे और अभी हम अपना सदन पटल पर भी रख देंगे । पूरे बिहार में डेट और टाईम निश्चित है, हर प्रखंड में कैम्प लगना है और कैम्प की तिथि भी हम बता देंगे और सभी माननीय सदस्यों से हमारा आग्रह होगा और सही बात है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जो कामगार, जो कन्सट्रक्शन वर्कर है उसमें 17 तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है । देश के किसी भी ऐसे प्रदेश में इतना लाभ किसी लेबर को नहीं मिलता है ।

मैं पहली बार सदन में जवाब दे रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी दूंगा और माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि जिस दिन कैम्प की डेट है उसे हम सटन पटल पर रख देते हैं, उस दिन उस कैम्प में खुद अपीयर हों और अपीयर होने के बाद अगर अस्वीकृत करने का अंटेंशन किसी का हो तो बतायें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी ।

टर्न–3/अभिनीत/27.11.2024

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : हो गया ।

माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–16, श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र सं0–87, जाले)

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : 1– अस्वीकारात्मक है । राज्य में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 की अवधि में कुल 18 लाख 03 हजार 871 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया था, जिन्हें पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था । अबतक 17 लाख 02 हजार 167 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है ।

2– अस्वीकारात्मक है । वर्तमान में 01 लाख 01 हजार 704 आवास अपूर्ण हैं ।

3– ग्रामीण विकास मंत्रलय, भारत सरकार के पत्रांक M-13015/03/2017-RH(A/c) Meeting, दिनांक 20.08.2018 के अनुसार जिन

लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है, उनकी ही आवास का अग्रेत्तर किस्त का भुगतान करते हुए पूर्ण कराया जाना है ।

उल्लेखनीय है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत आवासों का निर्माण स्वयं किया जाता है । सरकार द्वारा लाभुकों को निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण पूर्ण करने के पश्चात् उनके आवासों का निरीक्षण कर अग्रेत्तर किस्त की सहायता राशि का भुगतान किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत राज्य नोडल खाता में राशि समाप्त हो जाने तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण राज्य कोष से 75 करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 19 हजार 620 आवासों को पूर्ण कराया गया है । राज्य कोष से निकासी की गई 75 करोड़ रुपये में से केन्द्रांश मद की अनुमान्य 45 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति हेतु मंत्रालय से अनुरोध किया गया है ।

योजना अंतर्गत वैसे लाभुक जो सहायता राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें उजला नोटिस, लाल नोटिस निर्गत किया जाता है । इसके बाद भी आवास निर्माण पूर्ण नहीं करने पर राशि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाती है ।

अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु विभाग स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सहित अन्य माध्यमों से नियमित अनुश्रवण किया जाता है । सरकार सभी अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु कृत संकल्पित है ।

अध्यक्ष : सरकार का जवाब बड़ा स्पष्ट है जिवेश कुमार जी । पूरक पूछिए ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे पूरक पर आ रहा हूं..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जिवेश जी, पूरक पूछिए ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, सरकार ने कबूला है कि जो आवास हैं 01 लाख 01 हजार 704 आवास अपूर्ण हैं, तो मेरा सरकार से सवाल है कि ये कबतक इसको पूरा करेंगे, पहला । दूसरा है कि इंदिरा आवास योजना बंद हो गयी, इसके तहत 01 लाख 01 हजार 704 आवास अपूर्ण हैं, इंदिरा आवास में हुजूर केवल 70 हजार रुपये मिलते थे । इसको मैंने कहा है कि इसको आप प्रधानमंत्री आवास से अच्छादित कर दीजिए गरीब आदमी को 01 लाख 20 हजार रुपये मिलेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, पूरक है कि सरकार ने जो कबूला है 01 लाख 01 हजार 704 आवास अपूर्ण हैं, माननीय मंत्रीजी उसको कबतक पूरा करा देंगे ? मेरा पहला पूरक है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है कि गरीबों के घर बनने चाहिए जब स्वीकृति मिली है । महोदय, 2012 से लेकर 2015-16 तक राज्य में इंदिरा आवास योजना चलती थी और समय पर पूरा नहीं होने के कारण भारत सरकार ने राशि बंद कर दी । भारत सरकार ने राशि बंद कर दिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी को चिंता हुई कि इसको पूर्ण कराना है तो हमने समीक्षा किया और समीक्षा के उपरांत हमने विभाग को निर्देश दिया कि इसको हर हालत में पूरा करना है और भारत सरकार में जो लंबित राशि है हमारी उसके लिए भी हमने पत्राचार किया है भारत सरकार से और माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अलग से राज्य से राशि दिया है ताकि उसको हमलोग पूरा कर सकें । महोदय, जो लाभुक हैं उसमें बहुत सारे लोग मृत हैं और बहुत सारे लोग पलायन कर गये हैं । महोदय, सबकी समीक्षा करके हम इस दिशा में लगे हुए हैं । 01 लाख 01 हजार 704 आवास अपूर्ण हैं, हमने जीविका से उनको जोड़ने का काम किया, चूंकि जिनको घर मिलता है वे गरीब लोग हैं, कम पढ़े-लिखे लोग हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए लगाया है और हर हालत में ये घर पूर्ण हों इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह तो लाभुकों को घर बनाना है । महोदय, हम तो उनको राशि देते हैं और राशि के उपरांत पूरा करते हैं । हम मॉनिटरिंग करते हैं, डी0डी0सी0 के स्तर पर करते हैं लेकिन ज्यादा जटिल समस्या जब हो जाती है तो उनको उजला नोटिस जारी करते हैं, लाल नोटिस जारी करते हैं, सर्टिफिकेट केस करते हैं और राशि जो ली गयी है महोदय, लगता है कि अब नहीं बनायेंगे तो उनसे लेने के लिए भी हमलोग प्रयास करते हैं । लेकिन कोशिश यह है कि 01 लाख 01 हजार 704 आवास जो अपूर्ण हैं उसको पूरा करने की दिशा में हम जल्द-से-जल्द इससे निपट लेंगे और गरीबों को घर मिल जायेगा । ऐसी कोशिश हमारी जारी है ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्य श्री देवेश कांत सिंह ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक इसका पूरक है । एक ही पूरक मैंने पूछा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य सरकार को कि 19 हजार 620 घर पूरे किये हैं, तो माननीय मुख्यमंत्रीजी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना से भी हम घर बना रहे हैं...

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या-169, श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र सं0-111, गोरेयाकोठी)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : 1-आंशिक स्वीकारात्मक है ।

पथ क्षतिग्रस्त है परंतु आवागमन चालू है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

पथ का डी0पी0आर0 मोहम्मदपुर पंचायत भवन से डुमरा बाजार के नाम से प्राप्त हुआ है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है, जिसकी स्थिति निम्नवत है:-

1. महम्मदपुर पंचायत भवन से डुमरा बाजार पथ:- इस पथ की लंबाई 2.025 कि0मी0 है । इस पथ में अवस्थित बसावटों की एकल सम्पर्कता की जाँच की जा रही है । एकल सम्पर्कता भी नहीं होने की स्थिति में शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) के तहत पथ का निर्माण कार्य कराया जायेगा ।
2. एल061 हरदिया बिट्ठी रोड से इमलिया मोड़ पथ:- इस पथ की लंबाई 6.300 कि0मी0 है । इस पथ का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत किया गया था, जो दिनांक-04.04.2024 को पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हो चुका है । प्रथम प्राथमिकता में दिनांक-31.03.2024 तक पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि/Defect Liability Period से बाहर के पथों का इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीकरण हेतु कार्रवाई की जा रही है । अगले वित्तीय वर्ष में प्रश्नाधीन पथ का उक्त कार्यक्रम के तहत पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीकरण हेतु कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य देवेश जी । उत्तर संलग्न है पूरक पूछिए ।

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि एक ही प्रश्न के तीन बार में तीन तरह के जवाब आये हैं । 15.07.2023 को एक माननीय

मंत्री कहते हैं कि इस सड़क का संवेदक द्वारा रख-रखाव नहीं किया गया है इसलिए उसको बर्खास्त करेंगे, काली सूची में डालेंगे । 15.07.2023 क्या 15.07.2024 भी पार हो गया । 24.06 को कहा जाता है कि हम इस पर काम करेंगे और पुनः मेरे प्रश्न में जवाब है कि यह 31.03.2024 तक का हम करेंगे, तो मेरा यह पूछना है माननीय मंत्रीजी से कि यह सड़क जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के बीच अवस्थित है । मांझी-बरौली और महम्मदपुर छपरा एन0एच0 को क्रॉस करती है । थावे जैसे मुख्य हमारे धर्मस्थली को जाती है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य पूरक पूछिए । पूरक क्या है ?

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनका जो जवाब है कि 31.03.2024 तक जिसका रख-रखाव या अनुरक्षण नीति से बाहर है उसका विचार करेंगे । कबतक विचार करके इसके बारे में, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है । साढ़े 6 किलोमीटर की सड़क है..

अध्यक्ष : क्या चाहते हैं ? सड़क बनाना चाहते हैं ?

श्री देवेश कान्त सिंह : एकदम, सड़क बनाना ही चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैंने स्पष्ट किया है कि लगभग 28 हजार किलोमीटर सड़कें, जब माननीय नेता इस प्रदेश में आये थे तो मात्र 8 हजार किलोमीटर पक्की सड़क इस प्रदेश में थी और उनके 19 वर्ष के कार्यकाल में इन पक्की सड़कों की संख्या 01 लाख 17 हजार किलोमीटर हुई है, यह बड़ा अचीवमेंट है और हम मानते हैं कि जो सड़कें हमारे मेंटिनेंस पॉलिस के बाहर गयी हैं उसके लिए नेता ने एक नई योजना की शुरूआत की है और हम 31.03.2025 के पहले उन सड़कों को, 28 हजार किलोमीटर सड़कें जो मेंटिनेंस पॉलिसी के बाहर हैं उनको हम टेंडर करके बनाने जा रहे हैं और इन सड़कों को भी हम बनाने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, जो प्रश्न में सड़क है उसके बारे में क्या है ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, वह सड़क मेंटिनेंस पॉलिसी के बाहर है । वही तो अध्यक्ष जी हम कह रहे हैं कि अब हमारे विभाग ने माननीय नेता के निर्देश पर निर्णय किया है कि जितनी सड़कें जो मेंटिनेंस पॉलिसी से बाहर हैं उन सभी सड़कों का, 28 हजार किलोमीटर सड़कों का हम निर्माण करेंगे और यह सड़क उन 28 हजार किलोमीटर सड़कों में शामिल है ।

श्री देवेश कान्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : अब हो गया । बैठ जाइये ।

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, इसमें एक विशेष बात है कि उसमें पिछला जवाब आया था कि 4 वर्षों से नहीं हुआ...

अध्यक्ष : अब हो गया । माननीय सदस्या श्रीमती कुसुम देवी ।

श्री देवेश कान्त सिंह : इसी में एक और सड़क है..

अध्यक्ष : जो छूटे हुए हैं सभी बनेंगे ।

श्री देवेश कान्त सिंह : जिसका 6 महीने से प्रस्ताव पड़ा हुआ है मुख्यालय में..

अध्यक्ष : जो छूटे हुए हैं सब बनेंगे ऐसा माननीय मंत्री ने कहा न । अब बैठिए ।

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, 4 साल से जो नहीं बना उस पर कार्रवाई क्या होगी..

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती कुसुम देवी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, इसी से संबंधित एक पूरक है ।

श्रीमती कुसुम देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : कुसुम जी, एक मिनट रूक जाइये ।
बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग पिछली सरकार में हमारे पास भी था और माननीय मुख्यमंत्रीजी की दिलो इच्छा थी कि जितनी भी खराब सड़कें हैं उसका मेंटिनेंस जो है ठेकेदार न करे बल्कि डिपार्टमेंट खुद करे । इसके लिए हमलोगों ने उस समय निर्णय लिया था कि डिपार्टमेंट जो है पायलट रन करके इन चीजों को देखेगी, समीक्षा करेगी । जिस प्रकार से पी0डब्लू0डी0 में ओ0पी0आर0एम0सी0 है मेंटिनेंस को लेकर, तो मुख्यमंत्रीजी की इच्छा थी कि ओ0पी0आर0एम0सी0 वगैरह जैसी योजनाएं न हों बल्कि डिपार्टमेंट खुद से मेंटेन करे तो वैशाली जिला में इसका पायलट रन किया गया था । अभी क्या है स्टेटस, आपलोग, डिपार्टमेंट ही मेंटेन करिएगा या ठेकेदारों से मेंटेन कराइयेगा, ओ0पी0आर0एम0सी0 जैसी योजना को रद्द कीजिएगा ? यह हम जानना चाहते हैं।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि माननीय नेता की इच्छा थी कि मेंटिनेंस की जो पॉलिसी है वह सरकार अपने स्तर से करे लेकिन लोक सभा चुनाव की, जब हमलोग लोक सभा चुनाव में गये थे, जो परिस्थितियां आयीं लगभग 28 हजार किलोमीटर मेंटिनेंस पॉलिसी के बाहर है और जो पायलट प्रोजेक्ट पिछली सरकार में माननीय तेजस्वी प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री के रूप में इस विभाग का कार्यभार देख रहे थे वह जून के पहले हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था कि

हम कर पाये और चूंकि सरकार अगले साल चुनाव में जा रही है और माननीय नेता की इच्छा है कि पूरे बिहार में जितनी सड़कें हैं सबके गड्ढे को जून के पहले, बरसात के पहले हम खत्म करें, बनाने का काम करें । इसीलिए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस बार इस वित्तीय वर्ष में जो योजना है वह सरकार ब्लॉक वाइज यूनिट बनाकर इसको बनाने का काम करे और जो पहले की पॉलिसी थी कि बड़े-बड़े यूनिट बनाकर के इसको बनाने का काम करे और ठेकेदारों को भी जैसे आर0सी0डी0 में जिस तरह से बड़े-बड़े ठेकेदार हैं उनको लाकर के इस मेंटिनेंस पॉलिसी को चुनाव के पहले खत्म करने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती कुसुम देवी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, क्लीयरिटी चाहिए..

अध्यक्ष : अब हो गया । बैठ जाइये ।

टर्न-4/हेमन्त/27.11.2024

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : लोंग टर्म प्रोग्राम में आपका क्या है ? आप तो चुनाव की बात कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : उसको अलग कर लीजिएगा ।

श्रीमती कुसुम देवी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-170 श्रीमती कुसुम देवी (क्षेत्र संख्या-101, गोपालगंज)

श्रीमती कुसुम देवी : पूछती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वैसे तो उत्तर में सभी कुछ स्पष्टता से दिया हुआ है, लेकिन माननीय सदस्या ने जो कहा है वह बिल्कुल सही कह रही हैं कि यह 53 किलोमीटर की नदी है या छाड़ी है और उसकी उड़ाही का काम मुख्यमंत्री के निदेश पर अभी चल रहा है । 53 में से 44 किलोमीटर में काम पूरा हो गया है और जो 9 किलोमीटर बचा हुआ है इसमें तीन किलोमीटर लगभग गोपालगंज का शहरी क्षेत्र है, शायद माननीय विधायिका वहीं से आती हैं । उसमें काम नहीं हो सका है, कारण है कि पूरे शहर की गंदगी और जो भी वेस्ट होता है उसी नदी में डाल दिया जाता है, अभी तक । हम लोगों ने विभाग की तरफ से जिला प्रशासन से सम्पर्क करके एक तो उसको रुकवाया है, दूसरा, चूंकि हम लोग उड़ाही कर रहे हैं, हम लोगों ने कहा है नगर विकास को और जिला प्रशासन को कि आप एक

डम्पिंग ग्राउंड, हम लोग गाद की सफाई करते हैं वह तो नदी के किनारे पर डालकर किनारा ऊंचा कर देते हैं, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट है, ठोस अपशिष्ट है उसका तो विधिवत् निष्पादन का एक तरीका होता है और डम्पिंग ग्राउंड या तो शहरी विकास विभाग तय करता है या जिला प्रशासन तय करता है । हम लोगों ने परसों भी बात की है कलेक्टर से, उन्होंने कल ही कमिटी बनायी है और कहा है कि हम इसकी 15 दिनों में कोई जगह चिन्हित करते हैं । वह करा देंगे । वैसे भी जनवरी, 2025 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य है ।

श्रीमती कुसुम देवी : धन्यवाद मंत्री जी ।

अध्यक्ष : श्री अजीत शर्मा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-171, श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156, भागलपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत कुल 225 करोड़ की राशि पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायी गयी है ।

उक्त राशि 30 जिलों के ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी । अब तक 4,27,62,458.58 (चार करोड़ सत्ताईस लाख बासठ हजार चार सौ अनठावन रुपये अनठावन पैसे) का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त है एवं अन्य जिलों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करने की कार्रवाई की जा रही है । उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्ति कर विलंब के लिए जिम्मेदार कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन पूरक पूछूंगा । पहला है, मैंने पूछा है कि क्या यह बात सही है कि 2018 में 225 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये । माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह राशि कब भेजी गयी । मैं फिर पूछता हूं कि यह राशि कब-कब भेजी गयी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए राशि भेजने से लेकर अभी तक कितने पत्राचार और बैठकें की गयी, यह पहला पूरक है ।

अध्यक्ष : तीन पूरक हो गये आपके । एक, दो, तीन, तीन प्रश्न हो गये आपके ।

श्री अजीत शर्मा : सर, यह तो पहला ही है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत कुल 225 करोड़ की राशि पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी ।

उक्त राशि 30 जिलों के ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी । अब तक 4,27,62,458.58 (चार करोड़ सत्ताईस लाख बासठ हजार चार सौ अनठावन रुपये अनठावन पैसे) का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त है एवं अन्य जिलों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करने की कार्रवाई की जा रही है । उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विलंब के लिए जिम्मेदार कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अजीत शर्मा : माननीय मंत्री जी ने बताया कि 30 जिलों में पंचायतों से 225 करोड़ में से 4,27,62,458.58 रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन दोषी है और क्या यह राशि सरकारी खजाने में ही रही या निजी खाते में भी रखी गयी तथा इस पर सूद कितना प्राप्त हुआ, यह मेरा दूसरा पूरक है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार का पूरा जवाब आपने सुना है । सरकार ने केवल इतना ही नहीं कहा, सरकार ने यह भी कहा कि और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है और साथ में यह भी कहा कि जो इसके लिए दोषी होंगे, नहीं अगर मिलेगा, तो सरकार कार्रवाई करेगी, यह भी कहा । तो आपके तीनों प्रश्नों के जवाब हो गये ।

श्री अजीत शर्मा : सर, रुपया कहां था, सरकारी खजाने में था या कहीं और था ?

अध्यक्ष : रुपया तो सरकारी खजाने में ही रहता है ।

श्री अजीत शर्मा : सर, यही तो बात है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से, माननीय सदस्य, चूंकि पुराने सदस्य हैं उनको सब चीज की जानकारी है । हमने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं या तो जल्द इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र आ जायेगा और इसके लिए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अजीत शर्मा : सर, एक और पूरक है । क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि 221 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र किस तिथि तक प्राप्त कर लेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण केंद्रांश से राज्य सरकार वंचित हुई या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : महोदय, इसको जल्द ही हम लोग करा लेंगे ।

अध्यक्ष : श्रीमती प्रतिमा कुमारी ।

(व्यवधान)

हो तो गया । जवाब तो हो गया और क्या जवाब होगा ? सरकार कार्रवाई कर रही है । प्रतिमा जी, आप बोलिये ।

(व्यवधान)

जवाब तो हो गया । प्रतिमा जी, आप बोलिये नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-172, श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127, राजापाकर (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिलान्तर्गत सहदेई बुजुर्ग और देसरी प्रखंड में गंगा नदी के बायें किनारे अवस्थित चांदपुर-खड़गपुर बांध कहीं-कहीं पूर्ण सेक्शन में नहीं है । इस वर्ष बाढ़ अवधि में गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि होने पर वैसे स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर तटबंध को सुरक्षित रखा गया, यद्यपि कहीं भी ओवर टॉपिंग की समस्या उत्पन्न नहीं हुई । बांध से नदी की दूरी लगभग 1.00 कि0मी0 है ।

बाढ़ 2025 पूर्व कार्यान्वयन हेतु प्रश्नगत तटबंध के वैसे चिन्हित प्रभाग (400 मी0) में रिसेक्शनिंग एवं कटाव निरोधक कार्य की योजना तैयार की गयी है ।

बिलट चौक से मुरौवतपुर तक हाई पैच होने के कारण बांध निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं है ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : महोदय, जवाब तो मिला है, लेकिन हम उस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, महिला सदस्या को तो ये लोग इतना, पूरक सुनने ही नहीं देते ।

अध्यक्ष : ये लोग बोलने नहीं देना चाहते महिला सदस्या को ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : प्रतिमा जी फिर से पूछिये ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है, लेकिन जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : महोदय, चांदपुरा से खड़गपुर तक जो बांध बना हुआ था, बिल्कुल जीर्णशीर्ण है और वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं हुई है । मरम्मत के नाम पर जल संसाधन के पदाधिकारी बालू के दस-बीस बोरा रखकर खानापूर्ति करते हैं । 2022 में भी बाढ़ आयी थी, तो लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था और इस बार भी बाढ़ आने के बाद जब रिसने लगा, तो महनार एस0डी0ओ0 को बोलकर हम लोगों ने रात में बोरा वगैरह रखवाया । तो इसकी मरम्मत करवाना अतिआवश्यक है और यह जवाब बिल्कुल गलत है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें दो बातें हैं । एक तो, कटाव निरोधक यानी जहां-जहां बांध में कटाव हुआ है उसको बचाने की बात है और दूसरा, बिलटचौक से मुरौवतपुर तक बांध को ऊंचा करने की बात है । तो हमने यही कहा है कि कहीं ओवरटोप तो किया नहीं है, ऊंचा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो माननीय सदस्या ने कहा है कि बाढ़ संघर्षात्मक कार्य इस बार कराया गया है और आगे कटाव निरोधक कराया जाना है । हम लोग 2025 की जो बाढ़ की अवधि होती है उससे पहले करा देंगे और माननीय सदस्या अगर कह रही हैं कि वहां कुछ होता नहीं है, अगली बार काम करेगा, तो इनको भी बुलाकर दिखा देगा कि देखिये काम हो रहा है ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और पूरक है मेरा ।

जब हम सवाल किये, तो अधिकारियों को पता चला कि चांदपुरा से लेकर खड़गपुरा तक कोई बांध भी है । उसके पहले वह लोग जाते भी नहीं थे । लेकिन जब हम गये, तो मिट्टी आधी कटी हुई थी, पतला-सा बांध बचा हुआ था । उसके बाद उन लोगों ने कहा कि चूहा ने इस बांध की मिट्टी कोर करके बांध को खत्म कर दिया है । तो हर बार ये लोग चूहा का बहाना बनाते हैं यह अच्छी बात नहीं है । वह बुलायेंगे तो हम निश्चित रूप से जायेंगे, चूंकि अपने क्षेत्र के प्रति हम बहुत संवेदनशील हैं और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री रामबली सिंह यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-173, श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217, घोसी)</u>

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर उपलब्ध नहीं हो पाया है । उत्तर पढ़वा दिया जाय।

टर्न-5/धिरेन्द्र/27.11.2024

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अपलोड तो किया हुआ है । वस्तुस्थिति यह है कि उदेरास्थान बराज से बायां मुख्य नहर निकलती है जो बायां मुख्य नहर के 0. 25 किलोमीटर पर निर्मित अस्थायी ह्यूम पाईप आउटलेट से माधोपुर माईनर निकलती है । माधोपुर माईनर की कुल लंबाई 10.5 किलोमीटर है और इस माईनर की पूरी लंबाई में मिट्टी का काम कराया गया है परन्तु 5.5 किलोमीटर में ही लाईनिंग का कार्य पूर्ण हो पाया है । अस्थायी आउटलेट का निर्माण वर्ष 2012 में कराया गया था और स्थायी आउटलेट संरचना एवं शेष लंबाई में लाईनिंग कार्य, महोदय, चूंकि निजी जमीन है और वहां पर जिनकी जमीन है वे अवरोध पैदा कर रहे हैं इसीलिए पूरा नहीं हो पा रहा है और हमलोग तो विभाग की तरफ से ये दोनों काम भी कराना चाहते हैं चूंकि स्थानीय अवरोध पैदा होता है । हम तो माननीय सदस्य से भी कहेंगे, हम अपने अधिकारियों को भी निर्देशित करेंगे कि माननीय सदस्य को साथ ले जाकर वहां स्थानीय अवरोध दूर करा दें, हमलोग काम पूरा करा देंगे और जिससे कि पटवन का कार्य किसानों को पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाय ।

अध्यक्ष : श्री रामबली सिंह जी ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं चार साल से वहां का विधायक हूँ और लंबे समय से उन इलाकों को हमलोग देख रहे हैं । आधा-अधूरा काम करके उसमें कोई पहल नहीं किया जा रहा है, कोई प्रयास अभी तक उसमें नहीं हुआ है और कोई रूकावट नहीं है महोदय, कोई उसमें प्रयास नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आप कब से प्रयास शुरू करेंगे और कब तक माधोपुर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा है कि पानी अभी भी जा रहा है । अस्थायी ह्यूम पाईप आउटलेट बनाया गया है जिससे पानी जा रहा है और सरकार तो मुस्तैद है कि जो नहर प्रणाली है उसमें लाईनिंग का काम करा देगी मतलब उसको पक्का करा देगी लेकिन उसमें अवरोध हो रहा है इसीलिए तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपका इलाका है वहां सहयोग कीजिये, हमलोग पक्का स्ट्रक्चर भी बना देंगे, लाईनिंग भी करा देंगे और अंतिम छोर तक पूर्ण मात्रा में पानी उपलब्ध करा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा दावा है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दावा नहीं, पूरक पूछिये ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, उसके साथ ही न पूछेंगे । माननीय मंत्री जी को जिन पदाधिकारियों ने यह सूचना दी है कि उसमें पानी जा रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या इसकी आप जाँच करवायेंगे ? वहां पानी जाने की शुरूआत ही नहीं हुई है । महोदय, उसका जो प्रारंभिक स्थल है वहां बंद कर दिया गया है और उस नहर में पानी जाने की शुरूआत तक नहीं हुई है । आधा किसानों ने, जो किसान जमीन दे चुके हैं वह जमीन सरकार की हो गई ।

अध्यक्ष : आपका सवाल तो हो गया, अब जवाब तो सुन लीजिये ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, हम जानना चाह रहे हैं फिर वही सवाल कि आप कब से प्रयास शुरू करेंगे और कब तक पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने का विचार रखते हैं?

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम तो कह रहे हैं कि जब से अवरोध दूर करा देंगे, तो हम काम शुरू करा देंगे और उन्होंने कहा कि जाँच करायेंगे तो हम जाँच भी करायेंगे और माननीय सदस्य को भी उस जाँच में रखेंगे ।

श्री रामबली सिंह यादव : ठीक है । धन्यवाद महोदय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-174 (श्री जिवेश कुमार, क्षेत्र संख्या-87, जाले)

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अपलोड नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यह तटबंध पर शोभन से मकिया तक सड़क निर्माण का है जो जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर हुआ है ।

अध्यक्ष : उन्हीं को कह रहे हैं, आपको कहां कह रहे हैं । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने इनसे बात की है । सही बात है कि किसी कारणवश पथ निर्माण विभाग से जल संसाधन विभाग में आ गया है लेकिन प्रश्न के ही विभिन्न खंडों में देखिये, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी एम्स का निर्माण करा रहे हैं उसी क्षेत्र में, उससे और इसका महत्व बढ़ेगा और यह 37 किलोमीटर की सड़क है । हमलोग का विभाग तो अनापत्ति देने के लिए तैयार है, यह सड़क पथ निर्माण विभाग बना दे क्योंकि इस पर इतना हेवी ट्रैफिक चलेगा । हमलोग तो रोड बनाते हैं सिर्फ कामचलाउ मेंटेनेंस के लिए, वह हमलोग इनको एन०ओ०सी० दे देंगे और सही यही होगा कि ये बना दें ।

अध्यक्ष : वैसे भी माननीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी बहुत उदार हैं और इस महत्वपूर्ण काम को जरूर करेंगे । यह हमारा विश्वास है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आसन का आदेश शिरोधार्य है और आसन से इस उदारता को हमलोग भी ग्रहण करते रहें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठिये । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

हो गया, सड़क बनायेंगे और क्या करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-175 (श्री श्रीकान्त यादव, क्षेत्र संख्या-113, एकमा)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, उत्तर संलग्न है ।

श्री श्रीकान्त यादव : अध्यक्ष महोदय, जवाब उपलब्ध नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक-45(स्वी०), दिनांक-29.09.2022 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग प्रतिनिधायन मद से पंचायत

समिति लहलादपुर हेतु एक करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-59 (आ०), दिनांक-30.09.2022 द्वारा इस मद में आवंटन किया गया था ।

अतः पंचायत समिति को स्वीकृत राशि के संबंध में दिशा-निर्देश पृथक रूप से निर्गत किया जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका विषय कहां है, यह सारण जिले का है, यह तो एक पार्टिकुलर पंचायत का है ।

(व्यवधान)

यह सारण जिलांतर्गत लहलादपुर पंचायत समिति का प्रश्न है । बैठिये ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, पूरे प्रखंड का है, पूरे जिले का है ।

अध्यक्ष : लहलादपुर का है । बैठिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-176 (श्री अजय यादव, क्षेत्र संख्या-233, अतरी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-177 (श्री महा नंद सिंह, क्षेत्र संख्या-214, अरवल)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में वर्णित बसावट बुलाकी बिगहा दलित टोला, परसन बिगहा, छट्ठु बिगहा, देवकी बिगहा एवं रेवती बिगहा का विभागीय मोबाईल ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण आई०डी० क्रमशः 23226, 31856, 19911, 30395 वं 18893 है । उक्त बसावटों के एकल सम्पर्कता की जाँच कराई जा रही है । एकल सम्पर्कता भी नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) अन्तर्गत पथ का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करा लिया जायेगा ।

संतावन बिगहा को एन०एच०-139 से संतावन बिगहा पथ द्वारा एकल सम्पर्कता प्रदत्त है । उक्त पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । इस पथ की मरम्मति हेतु सर्वे कराया गया है । ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत इस पथ के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण का कार्य जल्द-से-जल्द पूर्ण करा लिया जायेगा ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब मिला है लेकिन हमें कहना है कि सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि इसको जल्द करा दिया जायेगा । जो बुलाकी बिगहा दलित टोला है, छट्ठु बिगहा, देवकी बिगहा, रेवती बिगहा,

छट्ठु बिगहा और देवकी बिगहा में थोड़ा-सा जमीन कम होने के कारण वहां संकट होने का बार-बार दिक्कत हो जा रही है तो कब तक ये करायेंगे और इसके अलावा महोदय, कई गांवों का हमने कहा है तो उसका मैं बता दे रहा हूँ कि इसके अलावे शहर टेलपा के परसन बिगहा, अगानुर जलवईया चौकी दलित टोला का एक गांव है । टेरी पंचायत के परशुरामपुर टोला, देवी बिगहा, कलेर बलिदाद पंचायत के टोला महरौली, कोइल स्माईलपुर महादलित टोला, कलेर प्रखंड के करण बिगहा से हृदयचक महज दो किलोमीटर है.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लिख कर दे दीजिये ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, दलित टोला है । ये सब गांव जो हैं ये बसावट हैं और संपर्क सड़क से छुटा हुआ है.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह लिख कर इनको दे दीजिये ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, मैं कब तक माननीय मंत्री महोदय से आशा करूं कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत इन पथों का निर्माण करायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट उत्तर दिया है कि माननीय नेता का यह निर्णय था कि हम 250 बसावटों को एकल संपर्कता देंगे । अब सरकार ने यह निर्णय किया है कि हम 100 बसावटों को एकल संपर्कता देंगे । पिछली सरकारों ने भी सर्वे कराया था लेकिन उस सर्वे में बहुत-सी ऐसी सड़कें हैं, आबादी है, हेबिटेशन है जो दोहरी संपर्कता प्राप्त है तो सरकार सर्वे करा रही है जिन-जिन गांव में जिनकी आबादी 100 है उनको हम इसी वर्ष में एकल संपर्कता, जिनका प्राप्त नहीं है जो दलित टोले या जो भी बसावट है उनको सरकार ने निर्णय किया है कि हम एकल संपर्कता इसी वित्तीय वर्ष में उसको हम करायेंगे ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, हमको यह कहना है कि पिछली बार भी इसका सर्वे हुआ था और सर्वे के बाद लंबित है, बहुत दिनों से ये सड़कें लंबित हैं, आजादी के 77 साल हो गए महोदय, और वहां कोई संपर्क नहीं है तो क्या जितने गांव हमने कहा है इसको इस वित्तीय वर्ष में पूरा कराने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो बड़ा साफ जवाब दिया है, इसके बाद क्या प्रश्न बनता है ।

(व्यवधान)

आप कहां से आ गए । आप इसमें कहां से आयेंगे ?

(व्यवधान)

कैसे हो सकता है । आप इस प्रश्न में नहीं आ सकते हैं । इसमें पार्टिकुलर गांव का नाम है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-178 (श्री बीरेन्द्र कुमार, क्षेत्र संख्या-139, रोसड़ा (अ॰जा॰))

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग । यह लघु जल संसाधन विभाग से आपके यहां ट्रांसफर हुआ है ।

टर्न-6/संगीता/27.11.2024

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वैसे तो जिस माईनर के पुनर्स्थापन की चर्चा इन्होंने की है, वह काम हमलोग जो खरीफ 2025 का समय आने वाला है उससे पहले करवा दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : लेकिन महोदय, ये हमारे ही जिले से आते हैं । एक चीज हमको नहीं समझ में आया कि रोसड़ा के ये प्रतिनिधि हैं और मधेपुरा के एक सुदूर इलाके के हालात का इतना गहरा अध्ययन इन्होंने करके रखा है ।

तारांकित प्रश्न सं0-179 (श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, क्षेत्र सं0-133, समस्तीपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है ।

निर्माणाधीन पुल के साथ हकीमाबाद (A1) के तरफ 350 मी0 एवं नागरबस्ती (A2) के तरफ 150 मी0 लम्बाई में अप्रोच पथ का निर्माण कार्य किये जाने का प्रावधान है ।

ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में पथ हस्तांतरण करने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है इसमें समस्तीपुर शहर को जाम से बचाने के लिए बूढ़ी गंडक नदी पर एक पुल का निर्माण हो रहा है । उस पुल में पुल में 4-5 किलोमीटर कुछ वारिसनगर विधान सभा और समस्तीपुर का 4-5 किलोमीटर अगर पथ निर्माण विभाग का सड़क के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से जिला विकास प्रशाखा ने लिखा है कि उसको पथ निर्माण विभाग 5 किलोमीटर सड़क बना दे तो पूरा शहर बाईपास का लाभ उठा पाएगा । इसी संदर्भ में मेरा सवाल था जिसका जवाब इन्होंने दिया है कि ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में पथ हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, यह शहर में जाम से निजात के लिए अति आवश्यक है । जिला प्रशासन ने जो प्रस्ताव भेजा है, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि 4-5 किलोमीटर को बनाने का विचार रखती है या नहीं रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है । निर्माणाधीन पुल के साथ हकीमाबाद के तरफ 350 मीटर एवं नागरबस्ती के तरफ 150 मीटर लम्बाई में अप्रोच पथ का निर्माण कार्य किये जाने का प्रावधान है । ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में पथ हस्तांतरण करने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : सर, स्पष्ट नहीं हुआ न । वह 4-5 किलोमीटर बनाने का है, ये 300 मीटर बता रहे हैं । पुल बनाने का उद्देश्य नहीं रहा, पतली संकीर्ण सड़क है, ग्रामीण कार्य विभाग की उसको पथ निर्माण विभाग से बनाना है वारिसनगर और समस्तीपुर, 4 किलोमीटर का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने भेजा है तो हम चाहेंगे कि ये घोषणा कर दें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : हम दिखवा लेते हैं, उसको करवायेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-180 (श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-166, जमालपुर)

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग । कृपया उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये तो डी0पी0आर0 पूछ रहे हैं कि कब बनावायेंगे, हमने कह दिया है कि अप्रैल, 2025 तक डी0पी0आर0 बनवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-181 (श्री कुमार शैलेन्द्र, क्षेत्र सं0-152, बिहपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, खंड-1 स्वीकारात्मक ।

खंड-2 वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पीपा पुल के एक तरफ अवस्थित बसावटों की संपर्कता की स्थिति निम्नवत है :-

1. आहुति बसावट - उक्त बसावट सपनी टोला, योगेन्द्र ठाकुर के घर से आहूति तक पथ के आरेखन में अवस्थित है ।

2. गोविन्दपुर मुसहरी एवं कहारपुर बसावट- उक्त बसावट भवनपुरा MMGSY रोड से गोविन्दपुर भवनपुर, रतनपुरा भाया कहारपुर बजरंगबली स्थान तक पथ के आरेखन में अवस्थित है ।

उक्त दोनों बसावटों को विभागीय Mobile App के माध्यम से सर्वे कराया गया है, जिसका सर्वे आई डी क्रमशः- 32311 एवं 66489 है । एकल संपर्कता की जांच की जा रही है । एकल संपर्कता भी नहीं रहने की स्थिति में शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) के तहत पथ का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करा लिया जाएगा ।

पीपा पुल के दूसरे तरफ अवस्थित हरियों बसावट को NH-31 से हरिओ कोसी बांध पथ से संपर्कता प्राप्त है ।

प्रश्नाधीन पुल स्थल के अपस्ट्रीम में लगभग 17.00 कि0मी0 एवं डाउनस्ट्रीम में लगभग 0.200 कि0मी0 पर पुल निर्मित है ।

विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । अतः इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है और इसमें मैंने प्रश्न किया है कि कोसी नदी है उसके बार में 3 गांव है- कहारपुर, गोविन्दपुर, मुशहरी है बड़ी खाल है । उनको डायरेक्ट एप्रोच नहीं है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है और जो सड़क बनाने का दिया है वह दूसरे प्रखंड में 40 किलोमीटर घूमकर वह आएगा जिसकी वजह से उसको दूसरे प्रखण्ड...

अध्यक्ष : पूरक क्या है आपका ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मेरा पूरक है कि हम पीपा पुल बनाने की बात किए हैं क्योंकि उसको एकल सम्पर्कता भी नहीं है और वे जो सड़क बना रहे हैं वह दूसरे प्रखण्ड होकर वह 40 किलोमीटर चलकर अपने दूसरे प्रखण्ड में आ रहे हैं और सीधा 10 पंचायत के किसान का भी मामला है महोदय । मैं चाहता हूं कि उस जगह वीरपुर से बिहपुर जो पुल बन रहा है, उससे अगर सर्विस लेन उतर जाए नहीं तो एक पीपा पुल बनाना चाहते हैं कि नहीं हम यह प्रश्न किए हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है कि पीपा पुल के दूसरे तरफ अवस्थित हरियों बसावट को NH-31 से हरिओ कोसी बांध पथ से संपर्कता प्राप्त है । प्रश्नाधीन पुल स्थल के अपस्ट्रीम में लगभग 17.00 कि0मी0 एवं डाउनस्ट्रीम में लगभग 0.200 कि0मी0 पर पुल निर्मित है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । अत: अभी तत्काल इस पुल के निर्माण का कोई हमारे यहां निर्णय नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी एकल संपर्कता दिया हुआ है । फिर भी आप मिल लीजिएगा ।

अध्यक्ष : मिलकर बात कर लीजिएगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-182 (श्री अचमित ऋषिदेव, क्षेत्र सं0-47, रानीगंज (अ0जा0))

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज ही उत्तर प्राप्त हुआ है ।

उत्तर स्वीकारात्मक है । उप विकास आयुक्त अररिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत गुणवंती के वार्ड नं0-4 में दुर्गा स्थान के पास स्थित बालू पोखर का जीर्णोद्धार कार्य जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत मनरेगा से अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया गया है, जिसका योजना कोड-0541003012/WC/20538276 है । वर्तमान में पोखर में पानी है । पोखर में जैसे ही पानी सूखेगा महोदय, उसके बाद इस कार्य को पूरा करा लिया जाएगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-183 (श्री ललन कुमार, क्षेत्र सं0-154, पीरपैंती (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण का कार्य ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जल्द से जल्द पूर्ण करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, ललन जी ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का इम्पोर्टेंट सड़क नंदलालपुर बाराहाट का है । माननीय मंत्री जी का उत्तर इसमें आया है कि इसका सुदृढ़ीकरण करायेंगे लेकिन मेरा सवाल यह था कि एन0एच0-80 और एन0एच0-133 को यह सड़क जोड़ता है और उसको आर0सी0डी0 के तर्ज पर उच्च क्षमता की सड़क बनाने की जरूरत है और नालीयुक्त वह सड़क जर्जर हो चुका है, ठेकेदार मेन्टेनेंस नहीं कर रहा है । हमारा यह पूरक है कि क्या माननीय मंत्री जी इसको आर0सी0डी0 की तर्ज पर उच्च क्षमता की सड़क बनाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट जवाब दिया है कि हम इसको पुनर्निमाण/उन्नयन/नवीनीकरण का कार्य और सड़क सुदृढ़ीकरण का काम जल्द से जल्द पूर्ण करायेंगे । स्पष्ट जवाब है ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से सवाल था कि हम चाह रहे हैं कि बना था और टूट गया इसको आर0सी0डी0 के तर्ज पर जो आपकी आर0डब्ल्यू0डी0 बनाती है, उच्च क्षमता वाली सड़क बनाना...

अध्यक्ष : जो उनका मानक...

श्री ललन कुमार : हम चाह रहे हैं कि उच्च क्षमता की सड़क बन जाए जो टिके, वह टिक नहीं रहा है...

अध्यक्ष : जो मानक है वही न बनायेंगे ।

श्री ललन कुमार : दो बड़ा बाजार पड़ता है पानी बहता है टूट जाता है, हम उच्च क्षमता की सड़क चाहते हैं इसपर हम सदन से आश्वासन चाहते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । वे बनावायेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-184 (श्री अजय यादव, क्षेत्र सं0-233, अतरी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-185 (श्री अमरजीत कुशवाहा, क्षेत्र सं0-106, जीरादेई)

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.00 कि0मी0 है, जिसका सर्वे महुआवारी नहर से मैरवा मेन रोड एस0बी0आई0 तक पथ के नाम से छूटे हुए बसावट अन्तर्गत मोबाईल एप से किया है, जिसका सर्वे आई0डी0-54794 है । एकल सम्पर्कता की जांच की जा रही है । एकल सम्पर्कता नहीं होने पर शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) के तहत तत्काल निर्माण कराया जाएगा ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, हम चाहते हैं कि समयसीमा बता दिया जाय क्योंकि वह सड़क जो है मैरवा को भयंकर जाम से बचाने वाली सड़क है और बहुत जर्जर स्थिति में है, काफी आक्रोश है लोगों में इसीलिए हम मंत्री जी से चाहेंगे कि एक समयसीमा के भीतर उसकी घोषणा करें कि बनवा दिया जाय क्योंकि एकल संपर्कता में भी नहीं आएगा, एकल संपर्क में भी नहीं आएगा और दूसरे किसी में भी नहीं आएगा और नहर पर बनाने वाला वह सड़क है इसलिए...

अध्यक्ष : ठीक है, आपका आ गया । सुना मंत्री जी ने ।

तारांकित प्रश्न सं0-186 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-20, चिरैया)

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : जी, उत्तर नहीं मिला है सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-1 स्वीकारात्मक है ।

खंड-2 स्वीकारात्मक है ।

खंड-3 वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत निर्माणाधीन पथ लम्बाई 2.536 कि0मी0 के चैनेज 2.415 कि0मी0 में बुढ़ी गंडक नदी पर अवस्थित है, जो क्षतिग्रस्त है तथा आवागमन बाधित है । पुल की लम्बाई 59.74 मीटर है । उक्त क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल के निर्माण हेतु प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-1450 दिनांक-19.11.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को भेजी गई है । पुल के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री

ग्रामीण सेतु योजना अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या-3012 दिनांक-13.09.2024 के द्वारा संबंधित जिला के प्रभारी माननीय मंत्री की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति के अनुशंसा पर पुलों की प्राथमिकता सूची उपलब्ध करायी जानी है । तदनुसार समीक्षोपरान्त निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

टर्न-7/सुरज/27.11.2024

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहेंगे मंत्री जी से कि कब तक होगा ? तीन साल से हम इसमें प्रयास कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : आपने उत्तर में सुना नहीं मंत्री जी ने क्या कहा है ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय, मंत्री जी यह आश्वास्त करें कि कब तक बनवा देंगे ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी तक पिछले 9 वर्षों से मुख्यमंत्री सेतु योजना बंद थी और नाबार्ड के थ्रू जो पैसा भारत सरकार से आता था उसी से हमारे राज्य में पुल का निर्माण हो रहा था । माननीय मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश पर 9 साल बाद पुनः मुख्यमंत्री सेतु योजना की इसी वित्तीय वर्ष में शुरूआत की है । क्योंकि हमारा पूरा का पूरा आनेवाले 2025 में विधान सभा का चुनाव है और लोकसभा में बहुत जगह वोटों का बहिष्कार हुआ था । इसको मद्देनजर रखते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वित्तीय वर्ष में पूरे राज्य में 6 सौ पुल निर्माण करने का उन्होंने अनुमति दिया है । इसलिए निश्चित रूप से हमने आपको आग्रह किया है कि सभी जो प्रभारी मंत्री हैं वह अपने-अपने जिले से प्रॉयोरिटी भेजेंगे और सरकार उन 6 सौ पुलों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराने का माननीय नेता का निर्णय है ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : बहुत-बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायें ।

अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27, नवम्बर 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

एक श्री महबूब आलम, श्री सत्यदेव राम, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री शकील अहमद खां, श्री अजय कुमार, श्री संदीप सौरभ, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री बीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री सूर्यकांत पासवान, श्री

विजय कुमार, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री गोपाल रविदास, श्री महा नंद सिंह, श्री अरूण सिंह, श्री शिव प्रकाश रंजन, श्री रामबली सिंह यादव एवं श्री रणविजय साहू और दूसरा श्री अजीत शर्मा । आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री महबूब आलम : महोदय, यह बहुत गंभीर मुद्दा है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुद्दा जरूर गंभीर है लेकिन राज्य सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है । यह कानून भारत सरकार को बनाना है इसलिये यहां पर इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं । अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री सत्यदेव राम ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

श्री सत्यदेव राम ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

(व्यवधान जारी)

श्री सत्यदेव राम: इसको पढ़ने दिया जाय।

अध्यक्ष: कैसे पढ़ने देंगे ? यह राज्य सरकार से जुड़ा हुआ मामला ही नहीं है, भारत सरकार कानून बनाने वाली है और भारत सरकार में एक बड़ी कमेटी बनी है । वहां पर अपनी बात आप रख सकते हैं, सारे प्रावधान हैं तो इसका क्या औचित्य है यहां पर विचार करने का ।

(व्यवधान जारी)

जहां विषय रखना है वहां रखिये न । जो कमेटी बनी है वह कमेटी सबकी बात सुन रही है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है । यह राज्य सरकार का विषय नहीं है । यहां कोई मुद्दा ही नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

श्री मोहम्मद अंजार नईमी । पढ़िये ।

शून्यकाल

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला सहित समस्त बिहार के मदरसों में रिक्त पदों पर बहाली नहीं होने से सैकड़ों मदरसा शिक्षक विहीन हो गया है । पठन-पाठन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

मैं सरकार से सभी बाधाओं को दूर कर शिक्षकों की बहाली कर शिक्षण व्यवस्था बहाल कराने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : देखिये, यह चूंकि राज्य सरकार से कहीं-कोई जुड़ा हुआ विषय नहीं है इसलिये यहां इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है । श्री महबूब आलम ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

(व्यवधान जारी)

पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है भारत सरकार का विषय है । वहां एक बड़ी कमेटी बनी है । आप अपनी बात रख सकते हैं, सारे प्रावधान हैं । श्री मुरारी मोहन झा ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के बहादुरपुर प्रखंड के सोभन बायपास से लोहिया चौक तक प्रस्तावित AIIMS को देखते हुये सड़क को फोरलेन बनाना जनहित में अति आवश्यक है । जनमानस के हितों को देखते हुये यथा शीघ्र बनाने की कृपा करें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर बैठ जाइये । सभी पोस्टर हटाए जाएं ।

(व्यवधान जारी)

श्री अजय कुमार ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

(व्यवधान जारी)

श्री राणा रणधीर ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन प्रखंड में कृषि फीडर के लिये पावर सब-स्टेशन नहीं रहने से किसानों को सिंचाई में काफी कठिनाई हो रही है ।

अतः मधुबन प्रखंड में कृषि फीडर के लिये पावर सब-स्टेशन के निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, बिहार राज्य में किसानों को गन्ने की खेती में अत्यधिक लागत होने के कारण नुकसान सहन करना पड़ रहा है ।

अत: सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की राशि में वृद्धि करने की सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री अजीत कुमार सिंह ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

(व्यवधान जारी)

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिये 1954 में एम0आई0टी0, मुजफ्फरपुर की स्थापना हुई थी । लगभग 2000 स्टूडेंट्स बीटेक की नौ(9) शाखाओं और एमटेक के पांच(5) कार्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं । संस्थान हित में सरकार से एम0आई0टी0 परिसर में स्टेडियम निर्माण पर रोक लगाने की मांग करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में EWS (Economically Weaker Section) के मापदंडों के अनुसार जाति का निर्धारिण पिता के आधार पर होता है, जबकि शादीशुदा महिलाओं का जाति का निर्धारण पति की आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिये । EWS का निर्धारण पति की आर्थिक स्थिति पर करने की मांग सरकार से करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री महा नंद सिंह ।

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

नियमों का उल्लंघन नहीं करिये । श्री कुंदन कुमार ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में प्रत्येक विधवा महिलाओं एवं वृद्धजनों के जीवनयापन करने के लिये मिलने वाले पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर प्रतिमाह 3000/- (तीन हजार रुपये) निर्धारित किये जाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण । सुनिये न । सदन की प्रक्रिया नियमावली से ही चलेगी और जो सदन के कार्य संचालन नियमावली की प्रकिया का नियम-80 और 82 है, हमें इसकी इजाजत नहीं देता है । इसलिये इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है, पढ़ने की गुंजाइश नहीं है । श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैट्रिक एवं इंटर वार्षिक परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा फॉर्म भरने से बहुत छात्र-छात्राएं वंचित रह गये हैं ।

अत: सरकार से मांग करते हैं कि रजिस्ट्रेशन एवं फॉर्म भरने के लिये अतिरिक्त 3 दिन का समय दिया जाय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर बैठ जाइये । सारे प्रश्न आप ही के हैं । शून्यकाल आप ही के हैं । ध्यानाकर्षण भी आपके ही है । जनहित के मुद्दे क्यों नहीं उठाना चाहते हैं और इसके लिये तो फोरम बना है वहां पर अपनी बात रखिये ।

(व्यवधान जारी)

सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-8/राहुल/27.11.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री महबूब आलम : महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8(3) के तहत बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2024 की हिंदी एवं अंग्रेजी की प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8(3) के तहत बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2024 की हिंदी एवं अंग्रेजी की प्रति 14 दिनों तक सदन पटल पर रखी रहेगी ।

प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरिनारायण सिंह (सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से संबंधित समिति के 223वें एवं 225वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

श्री अजीत शर्मा (सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति) : महोदय,...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : रिपोर्ट ले हो रही है इसमें किसलिए हंगामा कर रहे हैं ?

श्री अजीत शर्मा (सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति) : महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा के सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या-6 की प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अभी प्रथम पाली में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और राष्ट्रपति जी को आपने ही धन्यवाद दिया है, आभार प्रकट किया है और जो विषय बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है उसको यहां क्यों उठाना चाहते हैं । उन्होंने बिहार के मान की रक्षा की है, बिहार का मान बढ़ाया है । अभी आपने प्रथम पाली में धन्यवाद दिया है और फिर अभी वहीं हाल है । ऐसा नहीं होता है । अपने स्थान पर बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

(व्यवधान जारी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के विधेयक खंड में मुद्रण भूल के कारण एक शाब्दिक अशुद्धि हुई है । दरअसल अंतिम पंक्ति में प्राधिकृत कारण से एक शाब्दिक अशुद्धि हो गयी है...

(व्यवधान जारी)

दरअसल अंतिम पंक्ति में प्राधिकृत कारण से अधिभोग के बाद नहीं शब्द छूटा हुआ है । इसे इस नहीं शब्द को जोड़ते हुए पढ़ा जाय । महोदय, इस आशय में मैंने आपको पूर्व से सूचना दी है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

(व्यवधान जारी)

क्यों शोर कर रहे हो । आपका विषय आ गया, अखबार में छप गया । अब यहां काम क्यों बाधित कर रहे हैं । आप चाहते थे अखबार में छपे, छप गया न । अब यहां शोर करने की क्या आवश्यकता है ? अपने स्थान पर बैठिये । महत्वपूर्ण बिल है । बिल के बारे में चर्चा करिये । हो गया न, अखबार में छप गया आपका । विषय आ गया, यहां चर्चा हो नहीं सकती है । भारत सरकार का विषय है और भारत सरकार ने पॉर्लियामेंट में कमेटी बनायी है वहां अपनी बात रखिये । अब यहां इस विषय पर क्या होने वाला है ।

प्रभारी मंत्री ।

(व्यवधान जारी)

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(व्यवधान जारी)

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

(व्यवधान जारी)

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि विधेयक की प्रस्तावना में ही भाषा संबंधी कई त्रुटियां हैं । यहां तक की उद्‌देश्य एवं हेतु में भी व्याकरण की त्रुटियां हैं । साथ ही, कोई भी विधेयक सुविचारित होना चाहिए । प्रवर समिति में इस विधेयक के एक-एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा होगी और चर्चा के बिंदुओं का समावेश करते हुए सदन में यह विधेयक लाया जाय तो भविष्य में इस पर तुरंत कोई संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सरकार ने उसको अभी संशोधित कर लिया है । एक जगह नहीं शब्द छूट गया था। हिंदी में नहीं शब्द डाल दिया गया है और अंग्रेजी अनुवाद में नहीं पहले से है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड 2 में 6 संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

यह सदन कानून बनाने के लिए है । आप लॉ मेकर हैं । कानून बन रहा है, बिल पास हो रहा है और आप शोरगुल कर रहे हैं यह अच्छा लगता है क्या ? अपने स्थान पर जाइये और इसमें भाग लीजिये ।

(व्यवधान जारी)

खंड-3 में 1 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

खंड-4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

खंड-5 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

खंड-6 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

खंड-7 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘खंड-7 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-9/मुकुल/27.11.2024

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

‘‘खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : विपक्ष चला गया, इसका यह अर्थ नहीं है कि आप शांत हो जाइये, आप तो ‘हां’ या ‘न’ कहियेगा न, आपकी सहमति है न ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वसम्मत न हो रहा है, इसलिए नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप बैठ जाइये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

‘‘नाम इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024 में संशोधन के मुख्य बिन्दु ये हैं कि:-

कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी परिसर को किराया पर लेता था तो उसके लिए किराया वसूली का कोई तरीका नहीं था, उसकी बढ़ोतरी का कोई तरीका नहीं था, उसको खाली कराने का कोई तरीका नहीं था । अगर कोई लीजधारी है तो उसको अगर लीज पर दिया गया है और अवैध कब्जा कर लिया है तो उसको रिक्त करने का कोई प्रावधान नहीं था । इसके अतिरिक्त निगम/संस्था/निकाय/सहकारी समिति की भी भूमि पर अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने का कोई प्रावधान नहीं है । साथ ही सरकारी परिसर के किराया में संशोधन एवं आवंटी की मृत्यु के उपरांत, आवंटी के उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधियों से भी किराया वसूली का कोई प्रावधान नहीं था । उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के परामर्श के आलोक में यह संशोधन प्रस्ताव लाया गया है । इसमें सरकारी परिसर की परिभाषा में निगम/संस्था/निकाय/सहकारी समिति/वैसी सरकारी समितियां जिसमें राज्य सरकार का भी शेयर हो को भी शामिल किया गया है । इसमें लीज पर दी गई सरकारी परिसरों को अवैध कब्जाधारियों से रिक्त कराने का प्रावधान सन्निहित है । साथ ही बकाया किराया के निर्धारण/वसूली हेतु आवंटी के उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष : आप आग्रह कर लीजिए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, माननीय सभी सदस्यों से आग्रह है कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाय, यह बिहार के हित के लिए है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, खेल विभाग ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं । खंड 2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।"

महोदय, बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 में "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के स्थान पर "खेल विभाग" एवं "निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय" का नाम "निदेशक, खेल निदेशालय" किया जाना समीचीन है। इसके लिए बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 में "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" शब्द समूह के स्थान पर "खेल विभाग" शब्द समूह तथा

''निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय'' शब्द समूह के स्थान पर ''निदेशक, खेल निदेशालय'' शब्द समूह किया जाना तथा अधिनियम की धारा-4 (vii) में संशोधन करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभिष्ट है । हम तमाम अपने माननीय सदस्यों से कहना चाहेंगे कि इसे स्वीकृत करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-27 नवंबर, 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-58 (अनठावन) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

साथ ही शेष बचे शून्यकाल को शून्यकाल समिति को भेज दिया जाय ।

शेष शून्यकाल की सूचनाएं

श्री सत्यदेव राम : अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था नियमावली, 2023 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर राज्यकर्मियों को वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार सुप्रीम कोर्ट में अपील सं0-4880/2017 के फलाफल से शर्त पर दी जा रही है । समानता के तहत आरक्षित श्रेणी के कर्मियों को भी इसी शर्त पर प्रभार दी जाय ।

श्री महबूब आलम : बिहार नगरपालिका संशोधान एक्ट-2007 ने एक अप्रैल, 2008 से दो से ज्यादा बच्चों वालों को नगर पंचायत चुनाव में प्रार्थी होने की अर्हता से अयोग्य कर चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया है जबकि दूसरे चुनावों में यह प्रावधान नहीं है, एक्ट को सरकार रद्द करे ।

श्री अजीत कुमार सिंह : प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बिहार की जनता त्रस्त है । जहाँ 95 लाख परिवारों की मासिक आमदनी 6000 रू0 से कम है उनसे उपभोग से पहले बिल लेना अमानवीय है। स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर सभी गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग करता हूं ।

श्री महा नंद सिंह : राज्य में जो गरीब-भूमिहीन जहाँ बसे हुए हैं, उन्हें बन्दोबस्त किए जाने तक भूमि सर्वे पर रोक लगाने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : बिक्रमगंज प्रखण्ड के जमोढ़ी ग्राम में उत्क्रमित उच्च विद्यालय एवं प्लस-2 का शिक्षण कार्य मधय विद्यालय में ही संचालित हो रहा है। उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि चयनित है। चयनित भूमि पर विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कराने की सदन के माध्यम से माँग करता हूँ ।

श्री राम सिंह : पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत बगहा नगर के शास्त्रीनगर से जटहां बाजार के बीच गंडक नदी पर पुल निर्माण होने से दोनों स्थानों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर तक घट जाएगी । अत: शास्त्रीनगर से जटहां बाजार के बीच गंडक नदी पर पुल निर्माण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : राज्य में जीविका के तहत गठित स्वयंसहायता समूहों पर लगाने वाले योगदान प्रणाली को समाप्त करने एवं 10 लाख 74 हजार स्वयंसहायता समूहों के संचालन में लगे एक लाख 40 हजार कैडरों को 25,000 रूपये मानदेय देने की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री गोपाल रविदास : ग्राम ताजनगर, नोहसा, फुलवारीशरीफ में 13 वर्षीय बालिका जो दाई का काम करती थी । 25 नवंबर 24 नोहसा के दबंग मालिक के परिवार ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी । अभियुक्त की गिरफ्तारी, कड़ी सजा, 20 लाख रूपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग करता हूँ ।

श्री रामविलास कामत : सुपौल जितान्तर्गत किशनपुर प्रखंड के कोशी नदी के दोनों तटबंधों के भीतर अवस्थित ग्राम पंचायत बौरहा तथा नौआबाखर के किसानों सहित पिपरा विधानसभा के किसानों को घोड़परास, नीलगाय, जंगली सुअर से फसलों की हो रही क्षति के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की माँग मैं सरकार से करता हूँ ।

श्री संदीप सौरभ : 27.08.2024 को पटना जिलांतर्गत पालीगंज प्रखंड के सिगोड़ी पंचायत के मुखियापति और नियोजित शिक्षक शहजाद आलम को अपराधियों ने गोली मार दी और 3 नवंबर को अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया । पीड़ित परिवार को 10 लाख रु0 मुआवजा तथा अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखण्ड अन्तर्गत सुरूजपुर पंचायत के भवानीपुर गाँव से दक्षिण जलवार नदी मे छिलका निर्माण होने से हजारों एकड़ जमीन का पटवन सुगम हो जाएगा । सरकार से छिलका निर्माण कराने की माँग करता हूँ ।

श्री राम रतन सिंह : तेघड़ा विधान सभा अन्तर्गत बरौनी प्रखण्ड के बीहट नगर परिषद् में आजादी के पूर्व से स्थापित मध्य विद्यालय, बारो राष्ट्रकवि दिनकर की प्रारंभिक पाठशाला थी, को अबतक उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत नहीं किया गया । अतः मध्य विद्यालय, बारो को उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्त करने की मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : भू-दान कानून की अवहेलना कर सर्कुलर संख्या 970/7 दिनांक-23.08. 2016 के अनुसार डेढ़ लाख एकड़ जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर दिया गया था । कॉरपोरेट जगत के लिये लैंड बैंक बनाने और गरीबों को बेदखल करने वाले उपर्युक्त सर्कुलर को निरस्त करने की मांग करता हूं ।

श्री अख्तरूल ईमान : पूरे राज्य में दाखिल-खारिज के नाम पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक केवाला 15000/- से 20000/- रुपये रिश्वत ली जाती है और न देने पर अकारण केवालों को अस्वीकृत कर दिया जाता है ।

पुनः अंचल स्तर पर अस्वीकृत केवालों का दाखिल-खारित करने की व्यवस्था की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : गया जिलान्तर्गत लाडू-कोशिला के बीच निरंजना नदी पर पुल नहीं होने से दोनों ओर की बहुत बड़ी आबादी बारहों मास कटी रहती है । बाढ़ में मौतें भी होती रहती है । वोट बहिष्कार भी होता है । अति महत्वपूर्ण लोकहित में उक्त पुल का निर्माण कराने की मांग सदन से करती हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड के सिमराहा पंचायत व नगर परिषद् जोगबनी के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (रेफरल अस्पताल) में तब्दील कर अस्पताल भवन एवं चिकित्सक हेतु 24 घंटा आवासीय परिसर निर्माण की मांग सदन से करता हूं ।

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के अंतर्गत नावकोठी प्रखंड के पूर्वी पहसारा पंचायत का नाम बदलकर गमहरिया दौरा पीरनगर, करने की मांग जनता द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है ।

अतः उक्त पंचायत का नाम बदलकर गमहरिया दौरा पीरनगर करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, संस्कृत में संविधान का अनुवाद हुआ है । रोसड़ा शहर के मध्य में संस्कृत उच्च विद्यालय है जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है । आधुनिकतम भवन

का निर्माण हो । जिससे संस्कृत की पढ़ाई-लिखाई व्यवस्थित रूप से कराया जा सके । ऐसी मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पशुधन एवं पशुपालकों की संख्या बिहार में सर्वाधिक रहने के बावजूद पशुओं के प्रजनन हेतु उन्नत नस्ल का बीज उपलब्ध नहीं है एवं एक भी प्रजनन केंद्र स्थापित नहीं है, इसे नरपतगंज में स्थापित करने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, सिवान सहित राज्य की करोड़ों गरीब जनता स्मार्टमीटर की तबाही से परेशान है, यहां बिजली दर अन्य प्रदेशों से अधिक होने से कमाई का बड़ा हिस्सा रिचार्ज में चला जाता है । प्रीपेड स्मार्टमीटर पर रोक, झारखण्ड की तरह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग करता हूं ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, लौरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अंचल योगापट्टी के पंचायत राज चौमुखा खुटवनिया जरलपुर, सिसवा मंगलपुर तथा नवलपुर में पीपा पुल की अति आवश्यकता है । किसानों की तैयार फसल उनके खेत में ही न रह जाय । मैं सदन से इसकी मांग करता हूं ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, कैमूर जिला के रामगढ़ विधान सभा के किसानों के सिंचाई के लिए जमनियां में गंगा नदी में पम्प कैनाल बनाकर खेतों की सिंचाई करना था, प्राक्कलन 1984 में बना । 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार से अनापत्ति पत्र के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ । जमनियां में पम्प कैनाल लगाने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार : महोदय, शेखपुरा जिला के शेखपुरा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पुरैना में सीधे जानेवाली रास्ते पर टाटी नदी में पुल निर्माण कार्य नहीं होने के कारण काफी कठिनाई हो रही है ।

अत: जनहित में अविलंब उक्त स्थान पर पुल निर्माण कार्य कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, बज्जिका भाषा प्राचीन बज्जि गणराज्य की मातृभाषा रही है । समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली समेत दर्जनों जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है । बज्जिका भाषा की ऐतिहासिक महत्ता एवं वर्तमान उपयोगिता को देखते हुए संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु केन्द्र को प्रस्ताव भेजने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिले में कैंसर के मरीज की संख्या में लगातार काफी बढ़ोतरी हो रही है । आँकड़े के अनुसार 57 हजार लोगों की स्क्रीनिंग के दौरान 300 कैंसर के नए मरीज मिले हैं ।

अत: मैं सरकार से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में कैंसर अस्पताल खोलने की माँग करता हूँ ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर पर जीविका दीदी शौचालय सर्वे, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण स्वच्छता, पेड़-पौधा लगाने इत्यादि कार्य करते हैं लेकिन इनलोगों का मानदेय ऊँट के मुँह में जीरा समान है । अस्तु जीविका कैडर में काम करने वाले को नियुक्ति पत्र के साथ 25,000/- रुपये मानदेय देने की माँग करता हूँ।

प्रो॰ विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वरुणा पुल से रसियारी (एस॰एच॰-88) पथ के बेनीपुर में लगातार जाम लगा रहता है । इस वजह से वहां फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाए ।

श्री अनिल कुमार : सीतामढ़ी जिले के बथनाहा विधान सभा के मेजरगंज प्रखंड में अवस्थित मेजरगंज रेफरल अस्पताल की स्थिति अत्यंत जर्जर है ।

अत: मैं सरकार से नए भवन के निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सभी 8061 ग्राम पंचायतों में चयनित पर्यवेक्षको को 5000 से 7500 एवं स्वच्छता कर्मी को 1500 से 3000 तक मानदेय मिलता है । जो कि दैनिक मजदूरी दर से भी कम है । सरकार से स्वच्छता कर्मियों के बकाया भुगतान तथा मानदेय वृद्धि करने की मांग करता हूं।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत वर्षों से बंद पड़े अशोक पेपर मिल के अधीन 330 एकड़ खाली जमीन उपलब्ध है ।

अत: उक्त खाली जमीन पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार तथा सीआरटी विंग्स के सहयोग से ड्रोन विनिर्माण संयंत्र की स्थापना कराने की मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्ट्रीट लाईट लगाया जाना था परंतु 50 प्रतिशत स्ट्रीट लाईटें ही लगायी गयी हैं । शेष स्ट्रीट लाईटें लगाये जाने की मांग करता हूं ।

श्रीमती नीतु कुमारी: महोदय, हिसुआ-नवादा रोड घनी आबादी से गुजरने के कारण बराबर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें जान-माल की काफी क्षति होती है । अतएव हिसुआ-नवादा

रोड के चौड़ीकरण, स्ट्रीट लाईट और विद्यालय, महाविद्यालय, कारा, शोभिया मंदिर, घनी आबादी क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, खगड़िया जिला के गोगरी से मुंगेर जिला के बरियापुर प्रखंड के हरिणमार तथा झौवा बरियार के बीच वर्ष 2012-13 में बनाये पथ सरकार के द्वारा अधिकृत अमीन का मुआवजा आजतक नहीं दिया गया है ।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से उक्त अमीन का मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, दरभंगा जिला के तारडीह प्रखंड के सी0डी0पी0ओ0 प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहते हैं । मनमाने ढंग से नियम के विपरीय कार्य करते हैं जिससे विभागीय साधनों के उपयोग एवं आमजनों के कार्यों में कठिनाई होती है ।

अत: तारडीह प्रखंड के सी0डी0पी0ओ0 के विरूद्ध जाचं करने तथा कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड अंतर्गत डोभी घाट में गेरुआ नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण एवं अमडीहा में जहदा नदी पर पुलिया का निर्माण एवं महेशपुर घनश्यामचक पंचायत अंतर्गत ग्राम बनगांव में लाड़न नदी पर पुलिया का निर्माण कराए जाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : विज्ञानपन संख्या 02/2011 के तहत नवगछिया पुलिस जिला में गृह रक्षा वाहिनी के पद पर शेष बचे 106 सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देने की मांग करता हूं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अमर शहीद जगदेव प्रसाद, सदर अस्पताल जहानाबाद में पदस्थापित बेहोशी के चिकित्सक नहीं रहने के चलते प्रसूति एवं मरीजों को शल्य चिकित्सा नहीं होने के चलते मरीजों को पीएमसीएच या अन्य अस्पतालों में रेफर किये जाने से गरीब परेशान है। अनुपस्थित चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-28 नवंबर, 2024 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।